न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आरएएस

प्रकरण सं0 16/2021/251 (ए) आरटीए

01. भागीरथ पुत्र स्व0 मुकन्दाराम उम्र 67 वर्ष
02. रेखाराम पुत्र स्व0 मुकन्दाराम उम्र 65 वर्ष
03. सांवरमल पुत्र स्व0 मुकन्दाराम उम्र 63 वर्ष
04. खेमचन्द पुत्र स्व0 मुकन्दाराम उम्र 61 वर्ष
05. रघुवीर पुत्र स्व0 मुकन्दाराम उम्र 59 वर्ष
06. बनारसी पुत्री स्व0 मुकन्दाराम उम्र 50 वर्ष
07. सुगना पुत्री स्व0 मुकन्दाराम उम्र 60 वर्ष
08. ज्याना देवी पत्नी स्व0 रामलाल उम्र 65 वर्ष
09. नितेश दत्तक पुत्र स्व0 रामलाल उम्र 22 वर्ष
10. बनवारी पुत्र गोरूराम उम्र 45 वर्ष
11. मदनलाल पुत्र गोरूराम उम्र 55 वर्ष
12. महेश कुमार पुत्र गोरूराम उम्र 48 वर्ष
13. रूपा देवी पत्नी गोरूराम उम्र 70 वर्ष
14. भगवान सिंह पुत्र स्व0 बोदूराम उम्र 48 वर्ष
15. विनोद कुमार पुत्र स्व0 बोदूराम उम्र 35 वर्ष
16. मन्जू देवी पत्नी स्व0 कैलाश उम्र 40 वर्ष
17. विकास कमार पुत्र स्व0 कैलाश उम्र 14 वर्ष
18. सुनिल कुमार पुत्र स्व0 कैलाश उम्र 11 वर्ष
19. अनिल कुमार पुत्र स्व0 कैलाश उम्र 9 वर्ष
    जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मन्जू देवी पत्नी स्व0 कैलाश
20. नारायणी पुत्री स्व0 बोदूराम उम्र 60 वर्ष
21. गीता पुत्री स्व0 बोदूराम उम्र 57 वर्ष
22. सुमित्रा पुत्री स्व0 बोदूराम उम्र 49 वर्ष
23. महेन्द्र पुत्र जयराम उम्र 55 वर्ष
    समस्त जाति जाट निवासीगण अजीतपुरा तहसील धोद जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

01. पेमी पत्नी जयराम उम्र 70 वर्ष
02. सुरेन्द्र पुत्र जयराम उम्र 40 वर्ष
    समस्त जाति जाट निवासीगण अजीतपुरा तहसील धोद जिला सीकर (राज0)
03. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कूदन तहसील धोद जिला सीकर
04. तहसीलदार धोद जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री भवानी सिंह, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री अजीतसिंह, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

निर्णय

दिनांक– 06.08.2021

वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 सभी ग्राम अजीतपुरा पटवार हल्का जेरठी भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कूदन तहसील धोद जिला सीकर के निवासीगण है। जिन सभी की आपस में सींवा जोड़ लगती हुई कृषि भूमियां अवस्थित है, जिनमें कदीमी आवागमन हेतु खसरा नम्बर 71 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 68 रकबा 1.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 61 रकबा 1.57 हैक्टर से होता हुआ खसरा नम्बर 60 रकबा 0.55 हैक्टर में प्रवेश करता है। जो रास्ता मौके पर 12 फुट का डोटेड रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिस रास्ते से होते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी कृषि भूमियों में आवागमन कर कृषि भूमियों की काश्त करते चले आ रहे है। उक्त डोटेड रास्ता ग्राम खुड़ी से दादिया जाने वाली मुख्य सड़क से उत्तर की ओर लगते कटानी रास्ते जो भूमि खसरा नं. 75 के पूर्वी दिशा से होता हुआ उत्तरी दिशा के सहारे सहारे चलते हुऐ भूमि खसरा नं. 72 के पूर्वी सीमा तक के कटान के रास्ते से आगे होकर राजस्व रिकार्ड में डोटेड रास्ते के रूप में चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आवागमन हेतु पुराना व कदीमी से डोटेड रास्ता मौके पर चालू है व उक्त आवागमन के रास्ते से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी कृषि भूमियों में आवागमन कर निरन्तर व निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों में आवागमन का रास्ता निम्न प्रकार से है:– "ग्राम खुड़ी से ग्राम दादिया जाने वाली डामरीकरण मुख्य सड़क से उत्तर की तरफ भूमि खसरा नं. 75 के पूर्वी दिशा के सहारे सहारे कटान का रास्ता है जो भूमि खसरा नं. 75 के उत्तरी दिशा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 72 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे भूमि खसरा नं. 71 तक कटान का रास्ता है। जहां से भूमि खसरा नं. 71 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 71 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 68 की दक्षिणी सीमा में प्रवेश करता है जहां से भूमि खसरा नं. 68 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 61 में प्रवेश करता है तथा भूमि खसरा नं. 61 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे चलता हुआ भूमि खसरा नं. 60 की दक्षिणी पूर्वी सीमा में प्रवेश करता है जो डोटेड रास्ते के रूप में 12 फुट का रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकित चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी कृषि भूमियों में कृषि यंत्र लाते ले जाते रहते है तथा कृषि कार्य के लिये आवागमन भी इसी रास्ते से करते रहते है लेकिन वर्तमान में उक्त रास्ता नक्शा ट्रेस में कटानी रास्ता न होने के कारण तथा रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण 17 फिट के रास्ते की आवश्यकता होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इसके लिये मना करने पर उक्त आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त वर्णित आवागमन के रास्ते के बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 से पहले भी रास्ते को कटान में करने तथा उसकी चौड़ाई 17 फुट करने के लिये बातचित की थी उस समय तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 सहमत थे लेकिन धीरे धीरे उनके मन में बेईमानी आ गई जिससे वो रास्ते में बाधा उत्पन्न करने लगे जिसके लिये प्रार्थीगण ने कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया था। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 शंकालू प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा रहते है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमियों की जुताई व अन्य कृषि कार्यो में बाधा उत्पन्न करने की गर्ज से आये दिन उन्हें हैरान व परेशान करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने दिनांक 21.01.2021 को प्रार्थीगण की कृषि भूमियों में जाने वाले उक्त रास्ते में खसरा संख्या 71 द्वारा अपनी कृषि भूमि के दक्षिणी व पश्चिमी सीव के सहारे सहारे

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु॰ सीकर

जाने वाले डोटेड रास्ते को अवरूद्ध करने की कुचेष्ठा की गई जिसके बारे में भी प्रार्थीगण ने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया था फिर भी अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में अवस्थित झाड़ छकाड़ व कंकर पत्थर पड़े होने की आड़ में उक्त रास्ते को अपनी भूमियों में मिलाने की फिराक में लगे हुये है जिसके चलते प्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर उनके आवागम के रास्ते को अवरूद्ध कर उन्हें अपनी भूमि पर आने जाने से रोकने की कुचेष्ठा में लगे हुये है। इसलिए यह आवेदन प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। उक्त वर्णित रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने का प्रथम दृष्टया कारण प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण को आये दिन अप्रार्थीगण द्वारा असीम क्षति व परेशानी कारित की जा रही है। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। अप्रार्थी संख्या 3 ऋणदाता बैंक है जिन्हें प्रस्तुत आवेदन में औपचारिक पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी संख्या 4 भूमिधारक है जिसे भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 स्व0 मुकन्दाराम के वारिसान है जिन्हें मुकन्दाराम की मृत्यु होने के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण उनके नाम नहीं भरे जाने के कारण तथा प्रार्थी संख्या 8 व 9 स्व0 मुकन्दाराम के पुत्र रामलाल जिनका भी देहान्त हो चुका है उनकी पत्नी व दत्तक पुत्र होने से उन्हें प्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है तथा प्रार्थी संख्या 16 लगायत 19 जो स्व0 कैलाश के पत्नी व पुत्र होने के कारण व प्रार्थी संख्या 20 लगायत 22 स्व0 बोदूराम की पुत्रीया होने के कारण उन्हें प्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत आवेदन श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने के कारण श्रीमानजी के समक्ष सादर प्रस्तुत है। आवेदन पत्र उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन की मद संख्या 4 में वर्णित रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बन्द नहीं किया जावे इसके लिये उन्हें स्थाई रूप से पाबन्द फरमाया जावे व उक्त रास्ता जो "ग्राम खुड़ी से ग्राम दादिया जाने वाली डामरीकरण मुख्य सड़क से उत्तर की तरफ भूमि खसरा नं. 75 के पूर्वी दिशा के सहारे सहारे कटान का रास्ता है जो भूमि खसरा नं. 75 के उत्तरी दिशा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 72 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे भूमि खसरा नं. 71 तक कटान का रास्ता है। जहां से भूमि खसरा नं. 71 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 71 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 68 की दक्षिणी सीमा में प्रवेश करता है जहां से भूमि खसरा नं. 68 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा नं. 61 में प्रवेश करता है तथा भूमि खसरा नं. 61 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे चलता हुआ भूमि खसरा नं. 60 की दक्षिणी पूर्वी सीमा में प्रवेश करता है जो डोटेड रास्ते के रूप में 12 फुट का रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकित चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी कृषि भूमियों में कृषि यंत्र लाते ले जाते रहते है तथा कृषि कार्य के लिये आवागमन भी इसी रास्ते से करते रहते है लेकिन वर्तमान में उक्त रास्ता नक्शा ट्रेस में कटानी रास्ता न होने के कारण तथा रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण 17 फिट के रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कटान के रास्ते के रूप में अंकित किये जाने हेतु।" उसे राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 की ओर से अभिभाषक श्री अजीतसिंह उपस्थित हुये। प्रकरण में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2021/1383 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। इस दौरान वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से मिसल तलबी आवेदन पेश होने पर वकील अप्रार्थीगण सं. 01 व 02

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

ने लिखित जवाब पेश कर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते का आदेश दिया जावे।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अजीतपुरा के खसरा नम्बर 60 के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा लट्ठा में लाल स्याही से प्रदर्शित है व मौके पर चालू है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

अतः तहसीलदार, धोद की नक्शा सहित प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि–

(अ) तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट दिनांकित 07.04.2021 में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम अजीतपुरा तहसील धोद जिला सीकर के प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 60 में आवागमन के लिए भूमि खसरा सं. 61 रकबा 1.5700 हेक्टेयर में से (94x5.18=487 वर्गमीटर भूमि), भूमि खसरा सं. 68 रकबा 1.88 हेक्टेयर में से (144x5.18=746 वर्गमीटर भूमि), भूमि खसरा सं. 71 रकबा 2.95 हेक्टेयर में से (144x5.18=746 वर्गमीटर भूमि) प्रदर्शित नजरी नक्शा में लाल रंग से अंकित है, रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये।

(ब) खसरा सं. 61, 68 व 71 में से रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर